—::कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म०प्र०)::—

पृष्ठांकन कम	ांक <u>374</u> /2023 अशोकनगर, दिनांक 23.02.2023
प्रतिलिपि :	
01.	प्रथम / द्वितीय— जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर / मुंगावली / चन्देरी।
02.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर।
03.	प्रथम / द्वितीय / तृतीय— व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर / मुंगावली / चन्देरी ।
04.	प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अशोकनगर।
04.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर।
05.	प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर / मुंगावली / चन्देरी / ईसागढ़ ।
06.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अति० न्यायाधीश, अशोकनगर।
07.	प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर। की ओर माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर का पत्र कमांक डी/958/Leave (GZ)/चार-8-42/77 जबलपुर दिनांक 22 फरवरी 2023 की
	छायाप्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
08.	जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय, अशोकनगर। की ओर माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर का पत्र कमांक
	डी /958 / Leave (GZ) / चार-8-42 / 77 जबलपुर दिनांक 22 फरवरी 2023 की छायाप्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र को जिला न्यायालय अशोकनगर की बेवसाईंड एवं सीआईएस पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित
	करें।
संलग्न :	उपरोक्तानुसार। प्रधान जिल्ला एवं सत्र न्यायाधीश
	अशोकनगर (म०प्र०)



211

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

(Office of the Registrar General)

No. D/958/Leave (GZ)

Dated 22nd February, 2023

To.

- (1) The Principal District & Sessions Judges
- (2) The Principal Judges, Family Court (All in the State of Madhya Pradesh)

Sub: -Regarding proceeding on leave and absence from the headquarters without prior permission.

It has come to the notice that some of the Judicial Officers proceed on leave and remain away from the headquarters without getting the same sanctioned by the sanctioning authority.

In this regard the High Court of Madhya Pradesh has time to time issued various communications viz. D.O. No.68 dated 17.01.1996, Circular No.7571 dated 28.11.1998, D.O. No.493 dated 15.09.2004, D.O. No.1365 dated 25.09.2014 and Memo No. C/4595 dated 22.10.2019.

Therefore, as directed, I once again impress upon all the Judicial Officers to strictly observe the above mentioned communications regarding proceeding on leave and leaving the headquarters.

Further, in case of emergency, if the Principal District & Sessions Judge and Principal Judge, Family Courts are proceeding on leave, they shall inform to the Registrar General telephonically prior to proceeding on leave and leaving the headquarters.

Failure to comply with the communications and directions issued in this regard would render the Judicial Officer liable to disciplinary action accordingly.

RAMKUMAR CHOUBEY REGISTRAR GENERAL

Acett 180. 23